NJESR/March 2019/Volume-1/Issue-3 E-ISSN-2582-5836

DOI-10.53571/NJESR.2021.3.3.36-42

मुगल बादशाह औंरगज़ेब के प्रशासन में नियुक्ति निलम्बन एवं स्थानान्तरण की शक्तियों

डा0 मोहम्मद मदनी अन्सारी
सहायक आचार्य
मुमताज़ पी0जी0 कालेज, लखनऊ।

(Received:25Feburary2019/Revised:10March2019/Accepted:20March2019/Published:25March2019)

मुगल बादशाह औरंगज़ेब शासन सम्बन्धी एवं साम्राज्य के सम्पूर्ण प्रशासन प्रमुख होता था। राज्य के सभी प्रशासनिक अधिकारी उसके द्वारा संचालित होते थे, प्रशासन के सभी विभाग उसके द्वारा बनाये जाते थे। उसके कार्य एवं वैध अधिकर उसके द्वारा परिभाषित होते थे। चूंकि बादशाह व्यक्तिगत रूप से सम्पूर्ण साम्राज्य के प्रशासनिक कार्यों को नहीं कर सकता था इसलिये वह अधिकारियों के समूह द्वारा राज्य सम्बन्धी कार्यों को करता था। इसलिए बादशाह प्रशासनिक सुविधा के लिये अपने प्रशासन को केन्द्रीय, प्रान्तीय तथा स्थानीय भागों में विभक्त कर रखा था। बादशाह केन्द्र में प्रशासनिक सुविधा के लिये अलग अलग विभाग बनाये हुए था। वह केन्द्र के प्रशासनिक प्रमुखों की नियुक्ति स्वयं करता था। उनके सहायकों, प्रान्तीय गवर्नरों और शासन सम्बन्धी अधिकारियों, खंजाचियों, सशस्त्र सेनाओं के प्रमुख, राजस्व वसूलने वाले अधिकरियों, न्यायधीशों और धार्मिक कार्य करने वालों या दूसरे कई अधिकारियों की आवश्यकता पड़ने पर नियुक्ति का निर्णय करता था।[1]

औरंगजेब को अपने पूर्वजों से सरकारी सेवा में नियुक्ति का एक सुव्यवस्थित तरीका प्राप्त हुआ था। यदि कोई व्यक्ति मुगल सेवा में प्रवेश चाहता था तब सम्राट द्वारा उसे मन्सब की स्वीकृति दी जाती थी।[2] मनसब की स्वीकृति के साथ उसे न केवल व्यवस्थित किया जाता था। इस प्रकार वह

राज्य की सेवा में आता था। साम्राज्य में सभी पदों की चाहे केन्द्रीय विभाग के प्रमुख हो या प्रान्तीय सुबेदारों, दीवानों, फौजदारों, बपतात, किलेदारों, थानेदारों तथा कोतवालों आदि को नियुक्ति इसी प्रक्रिया से होती थी। बादशाह मनसबदारों को साम्राज्य के किसी स्थान या बन्दरगाह पर नियुक्त कर सकता था। बादशाह मनसबदार के अनुभव और विद्ववता का पद के सम्तुल्य विचार करता था।3 इसलिये मनसबदारी व्यवस्था मुगल प्रशासन में सैन्य महत्व का एक भाग था जो औरंगजेब के अधीन राज्य सेवा का महत्वपूर्ण अंग था।

सामान्तया सभी नियुक्तियां बादशाह करता था और नियुक्ति पत्रों (सन्देशों) को वजीर–ए–आजम या दीवान–ए–आला द्वारा भेजा जाता था, किन्तु बादशाह केन्द्रीय विभाग के प्रमुख अधिकारियों दीवान–ए–आला. मीर बख्शी, मीर सामान, मीर आतिश और सद्र उस सुदूर के विषय में स्वयं जानकारी रखता तथा उनकी नियुक्ति करता था। जबकि प्रान्तीय काजियों या सूबेदारों और अन्य अधिकारियों के सम्बन्ध में *वजीर–ए–आजम* से विचार विमर्श करता था तथा केन्द्रीय सरकार के दूसरे प्रमुखों प्रान्तीय में अपने सहायकों की नियुक्ति में कुछ भूमिका निभाते थे। फिर भी सम्राट को इतनी बड़ी संख्या में नियुक्ति व्यक्तियों की व्यक्तिगत जानकारी नहीं होती थी।[4] बादशाह राजकुमारों की संस्तुति (तजवीज) पर केन्द्रीय मंत्रियों प्रान्तीय नाजिम, दीवानों और दूसरे विभागों के प्रमुखों की करता था।[5] किन्तु सीमान्त प्रान्त के गवर्नरों को थानेदारों फौजदारों एवं अन्य सहायक पदों पर नियुक्ति की आज्ञा दी गयी थी। इससे मालूम होता है कि ये सीमान्त प्रान्त के गवर्नर (काबुल, बंगाल तथा दकन) के गवर्नर नियुक्ति संबंधी संस्तुति बादशाह के पास भेजते थे तथा बादशाह नियमानुसार नियुक्ति की सनद (चिन्ह) भेजता था, औरंगजेब ने स्वयं केन्द्र से दूरी के कारण यह नीति अपनायी जाने की स्वीकृति दी थी।[6] इन प्रान्तों के नाजिम को नियुक्ति में विलम्ब न करने की अनुमति थी। हम अनुमान कर सकते है कि इन दूरस्थ प्रान्तों के प्रान्तीय मंत्री अपने विभाग के

कुछ कार्यों का स्वतंत्रतापूर्वक उपयोग भी कर सकते थे। इसी प्रकार हम पाते है कि परगनों के अमीनों को करोड़ियों एवं फोतादारों की नियुक्ति का अधिकार प्राप्त था। एक सिद्धान्त के अनुसार यह कर निर्धारण करने वाले अधिकारियों के समूह और परगना स्तर पर राजस्व एकत्रित करने वालों के बीच आपसी सहयोग की आवश्यकता उत्पन्न होना था और राज्य को देय की पूर्ण वास्तविकता और उचित कर निर्धारण निश्चित होना था। यह तय था कि यदि करोड़ी ऊपर से नियुक्ति किये गये, तो अमीन को वसूली विस्तृत स्तर पर करने के लिये और करोडियों के सहयोग के बिना वास्तविक राजस्व प्राप्ति का भार अपने ऊपर नहीं ले सकते थे।[7]

राजकुमारों को अपनी जागीरों में फौजदारों को नियुक्ति करने का अधि कार प्राप्त था क्योंकि उन्हें जागीर के रूप में एक में एक विस्तृत क्षेत्र प्राप्त होना था। राजकुमार जिसे नियुक्त करता था उसे एक निशान प्रदान करता था। और इसके पश्चात दीवान–ए–आला द्वार उसे सनद प्रदान करता था। यह तभी होता था जब सम्राट उसे स्वीकृति प्रदान करता था[8] यह सम्राट की इच्छा पर निर्भर था कि वह नियुक्ति की स्वीकार करे या न करे।

औरंगजेब के शासन काल में हम पाते हैं कि जब वह दकन अभियान में पूरी तरह व्यस्त था तब प्रान्तीय अधिकारी, नियुक्ति में अधिक शक्ति प्राप्त में राजकुमार को सहायक अधिकारियों की नियुक्ति की गलती करने पर सावधान करता है। तथा गुजरात के सूबेदार के बाद के स्रोत से पता चलता है कि आठ गाँव के क्षेत्रों और 17 क्षेत्रों की सुरक्षा के लिये थानेदार की नियुक्ति स्वयं की थी।[9] यदि प्रान्तीय गवर्नर सम्राट के पास होता तो वह ऐसे अधिकार प्राप्त करने का प्रयास कर सकता था जबकि दूरस्थ प्रान्तों के अधिकारी विस्तृत स्वतंत्रता का उपयोग कर सकते थे।

जैसा कि बादशाह अधिकारी को नियुक्ति करता था इसलिये वह उनका स्थानान्तरण करता था। यद्यपि अधिकारियों एवं जागीरदारों के स्थानान्तरण की

व्यवस्था मुगल राज्य में पहले से चली आ रही थी। अबुल फजल के अनुसार अधिकारियों का स्थानान्तरण और निलम्बन योग्य अधिकारियों के लिये आवश्यक और साम्राज्य में शक्ति व्यवस्था बनाये रखने और जन सामान्य की भलाई थी क्योंकि अधिकारियों का क्षेत्रीय लोगों से सम्बन्ध विकसित होता है और विद्रोह के लिये उठ होते है।[10] बादशाह अधिकारियों का स्थानान्तरण एक स्थान से दूसरे स्थान पर करता रहता था। उदाहरण के लिये, मीरक मोइनुद्दीन को खालसा का दफ्तरदार 1671 में तथा 1673 ई० में खालसा का दीवान एवं पुनः उसे 1675 ई0 में लाहौर का किलेदार बनाया गया।[11] इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि किसी अधिकारी को लम्बे समय तक एक स्थान पर नहीं रोका जाता था और उसके पद और स्थानों का स्थानान्तरण बराबर होता रहता था। ऐसा मालूम पड़ता है कि अधिकारी अधिक से अधिक दो दशक तक किसी विशेष पद पर रह सकते थे जबकि कुछ ऐसे दूसरे पद पर दो या तीन वर्षों में स्थानान्तरण किया जाता था।[12] बादशाह की प्रसन्नता और अप्रसन्नता पर भी स्थानान्तरण होता था।[13] स्थानान्तरण कभी कभी अधिकारियों की प्रार्थना पर किया जाता था।

सामान्तया सम्राट की इच्छा पर ही मन्सब या अधिकार बने होते थे। मुगलों के अधीन सेवा से हटाने का अर्थ यह नही होता था कि उसे अधिकार से हटाया गया, बल्कि कभी कभी एक व्यक्ति को विशेष नियुक्ति या पद से हटाना हो सकता था जबकि उसका मनसब बना रहता था। वास्तव में यह मुगल मनसबदार का भाग्य था कि वे विशेष प्रशासनिक पद के बिना वे दरबार में रहते थे। सैन्य कार्यों के लिये प्रान्तों में भेजे जाते थे, जैसा उन्हें करने के लिए कहा जाता था।[14] इसलिए मुगलों के अधीन हटाने का अर्थ होता था, जागीर और मनसब से सेवा छीन लेना, वह अपनी सेना और वेतन खो देता था फिर भी बादशाह उनको जीविका की सेवा देने अतिरिक्त सम्मानीय वृद्ध पुरूष के दृष्टिकोण को बनाये रखता था।[15] मनसबदार का हटाना भी कम

समय के लिये होता था।[16] अधिकतर मुगल सेवक अपनी मृत्यु तक मनसब जागीर लिये रहते थे। इस प्रकार कम से कम और अधिक से अधिक सेवाकाल और आयु सीमा का वर्णन नहीं किया गया क्योंकि वह बादशाह की प्रसन्नता पर सेवा करता था। फिर भी यदि वह अपनी इच्छा से सेवा से हटना चाहता तो बादशाह द्वारा उसको सेवा के बदले सहायता दी जाती थी। इसके लिये कोई आवश्यक नियम कानून नहीं थे। यद्यपि कुछ सेवकों को अप्रसन्नता के कारण बादशाह ने सेवा से हटाया एवं जीविकोपार्जन के लिये सहायता दी सामान्तया राज्य के बहुत से सेवक जो किसी कारणवश सेवा नहीं कर सकते थे, वे सेवा से हटने की सम्राट से प्रार्थना करते थे और बादशाह द्वारा सालाना या महीने की सहायता दी जाती थी।[17] कभी–कभी सेवाकाल में ही मरने वाले अधिकारी की सहायता दी जाती थी। इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि गुगल बादशाह को ही नियुक्ति, स्थानान्तरण निलम्बन और सेवा से हटाने का अबोध अधिकारी था।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. अबुल फजल कृत *आईन–ए– अकबरी* (अंगेजी अनुवाद) ब्लैक मैन भाग प्रथम पूष्ठ–247, 48
2. खाफी खान *मुन्तखबुल लुबाब* भाग–द्वितीय पृ0 312 कराची 1963
3. *रूकात–ए आलमगीरी* (अनुवाद) बिल्लिमोरिया पृ0–25–26
4. *रूकात–ए आलमगीरी* (सम्पादन) नाज़िब अशरफ नदवी पृ0–32–33
5. *रूकात–ए आलमगीरी* पृ0–10–35
6. उपरोक्त – पृ0 18
7. हिदायतुल्लाह बिहारी, *हिदायत– अल कवायद* एफ0 30 ए

8. *रूकात–ए–आलमगीरी* पृ0 7, 10–11

9. *मीरात–ए–अहमदी* भाग प्रथम पृ–113–114 (सम्पादन) नवाब अली

10. बर्नियर, *ट्रवेलस इन दा मुगल, एम्पायर* पृ0 227

11. साकी मुस्ताद खॉ' *मासिर–ए–आलमगिरी* (अनुवाद) सर जदुनाथ सरकार पृ0 68, 78, 88

12. शाहनवाज़ खान *मासिर–अल–उमरा* (सम्पादन) अब्दुल रहीम भाग–प्रथम पृष्ठ 53

13. खाफी खान *'मुन्तखबुल लुबाब'* भाग द्वितीय पृष्ठ 433 कराची 1963

14. *अखबरात–ए–दरबार–ए–मुल्ला* (डायरी ऑफ कोर्ट) ए एमयू 14 रमजान 40 आर0वाई0

15. *मासिर–ए–आलमगीरी*–पू0 66

16. *रूकात–ए–आलमगीरी* – पृ0 39, 40

17. शाहनवाज खान *मासिर–एल–उमरा* भाग प्रथम पृष्ठ 778–813